

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - एफ 3 (ग) ए.सी.पी. / 1990-11/अलेसे-11/ 17830-31

दिनांक - 15.01.13

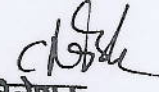
कार्यालय आदेश संख्या 26/2012-13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88) एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री रामकुमार मीणा, लेखाकार जिनकी जन्मतिथि 01.07.1968 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी शर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 26.07.1993 को कार्यप्रवृत्ति किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है। को दिनांक 26.07.2011 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, 8300-34800 पे-बैंड एवं रुपये 4200 ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री रामकुमार मीणा, लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्ष की प्राप्त एपीएआर व सन्तोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री रामकुमार मीणा, लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 3600/- प्राप्त कर रहे है।

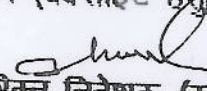

निदेशक

क्रमांक - एफ 3 (ग) ए.सी.पी. / 1990-11/अलेसे-11/ 17830-31

दिनांक - 15.01.13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली (बून्दी)।
2. श्री रामकुमार मीणा, लेखाकार, कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली (बून्दी)।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)


अतिरिक्त निदेशक (कार्यक-1)